पत्र सं०–6 एस०एस०(6) 26 / 2017–4065/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–20 / 12 / 2017.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– ****वित्त विभाग।**

विषय :– **वित्तीय वर्ष–2017–18 में कुल ₹ 2170.48 लाख (इक्कीस करोड़ सत्तर लाख अड़तालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम के अन्तर्गत *"पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु–स्वास्थ्य " के तहत* पशुओं को एफ०एम०डी० रोग से बचाव हेतु द्वितीय चरण में निःशुल्क एफ०एम०डी० टीकाकरण की योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 2170.48 लाख (इक्कीस करोड़ सत्तर लाख अड़तालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम के अन्तर्गत *"पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु–स्वास्थ्य " के तहत* पशुओं को एफ०एम०डी० रोग से बचाव हेतु द्वितीय चरण में निःशुल्क एफ०एम०डी० टीकाकरण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न है।

2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु एफ०एम०डी० टीकौषधि से टीकाकृत कर पशुपालकों को होने वाले आर्थिक क्षति से बचाना है। इसके तहत संपूर्ण राज्य में वृहत पैमाने पर पशुपालकों के दरवाजे पर पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु द्वितीय चरण में सघन टीकाकरण के माध्यम से पशुओं को टीकाकृत किया जायेगा। यह टीकाकरण कार्यक्रम मार्च–2018 से अप्रैल–2018 के बीच निर्धारित है। इस चरण में भी 165 लाख पशुओं को एफ०एम०डी० टीकौषधि से टीकाकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3) वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा पशुओं एफ०एम०डी० रोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना एफ०एम०डी०–सी०पी० में बिहार राज्य को शामिल किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम चरण में एफ०एम०डी०–सी०पी० के तहत एफ०एम०डी० टीकाकरण हेतु राशि की विमुक्ति की गई, किन्तु द्वितीय

चरण हेतु अब तक राशि की विमुक्ति नहीं किये जाने के फलस्वरूप ससमय टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्य स्कीम के अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के तहत टीकाकरण कार्य हेतु प्रथम अनुपूरक आगणन से व्यवस्था की गई राशि से एफ०एम०डी० टीकाकरण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है ताकि ससमय पशुओं को एफ०एम०डी० जैसे संक्रामक रोग से बचाव हेतु टीकाकृत किया जा सके।

4) वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष–2403– पशुपालन– उप मुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–101– पशु चिकित्सा सेवाएँ से तथा पशु–स्वास्थ्य माँग संख्या–02– उप शीर्ष–0101 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड–02-2403001010101 के विभिन्न विषय शीर्षों में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

5) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/ सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी भी होंगे।

6) इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत राशि निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना एकमुश्त अग्रिम के रूप में निकासी कर बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी (बी०एल०डी०ए०) पटना के द्वारा संचालित खाता में रखकर टीकाकरण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन पर व्यय किया जायेगा।

7) निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना द्वितीय चरण में प्रस्तावित एफ०एम०डी० टीकाकरण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग की सहमति से विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश जारी कर अपने अधीनस्थ कार्यकारियों को संसूचित करेंगे। साथ ही इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए भी पूर्णरूपेण जबावदेह होंगे।

8) दिनांक–24.11.2017 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में इस योजना की समीक्षोपरान्त स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्रदान की गई। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस०(6) 26/2017 के पृष्ठ 15–14/प०.

9) चुँकि इस योजना का लागत मूल्य 15.00 करोड़ से अधिक एवं 30.00 करोड़ के अधीन है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–3758/वि, दिनांक–31.05.2017 में सन्निहित प्रावधान एवं प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री एवं माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस० (6) 26/2017 के क्रमशः पृष्ठ–07/टि० एवं 11/टि० पर प्राप्त है।

10) एफ०एम०डी० टीकाकरण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु टीकाकरण कार्य में संलग्न होने वाले निजी टीकाकर्मियों को रुपये 3/– (तीन) मात्र प्रति टीकाकारण की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

11) इस योजना के तहत स्वीकृत राशि से एफ०एम०डी० टीकौषधि सीरिंज–निडिल, सहायक औषधि, **Cotton, Disinfectant** आदि का क्रय किया जायेगा। साथ ही एफ०एम०डी० की शीत श्रृंखला संधारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त नीजी टीकाकर्मियों के मानदेय, टीकाकर्मियों हेतु पहचान–पत्र तथा टीकाकरण कार्यक्रम के अनुश्रवण/पर्यवेक्षण हेतु परिवहन, प्रचार–प्रसार एवं शिविर आयोजन पर व्यय किया जायेगा। निदेशक, पशुपालन द्वारा एफ०एम०डी० टीकौषधि की आपूर्त्ति हेतु दर एवं आपूर्त्तिकर्त्ता का निर्धारण निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

12) बिहार वित्त नियमावली के नियम–210 के अनुसार निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना एक समिति गठित कर योजना की क्रियान्वयन की जाँच एवं समीक्षा कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

13) एफ०एम०डी० के तहत टीकाकरण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए इस योजना के तहत स्वीकृत राशि का आवंटन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना द्वारा आवंटित किया जायेगा।

14) राज्यादेश प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस० (6) 26/2017 के पृष्ठ–09/टि० तथा डायरी सं०–3504, दिनांक– 07.12.2017.

15) वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

ह०/- 19/12/17

(मधुरानी ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)26/2017– 4065   पटना–15,दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 19/12/17

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)26 / 2017– 4065 पटना–15,दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)26 / 2017– 4065 पटना–15,दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/ सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)26 / 2017– 4065 पटना–15,दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/ योजना शाखा/ लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)26 / 2017– 4065 पटना–15,दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)26 / 2017– 4065 पटना–15,दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखा परीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)26 / 2017– 4065 पटना–15,दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, वित्त के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)26 / 2017– 4065 पटना–15,दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई० टी० मैनेजर, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के तहत पशुओं को Foot and Mouth Disease (FMD) से बचाव हेतु एफ०एम०डी० टीकाकरण पर होने वाले व्यय का मदवार व्यय विवरणी :–

(राशि रुपये लाख में)

क्र0	विषय शीर्ष	योजना हेतु स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0101.13.01 –कार्यालय व्यय	49.02	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार
2	0101.13.02 –वाहन का ईधन एवं रख रखाव	12.02		
3	0101.21.01 –सामग्री एवं पूर्तियाँ	1,593.08		
4	0101.26.01 –विज्ञापन और प्रकाशन	21.36		
5	0101.28.02 –संविदा सेवाएँ	495.00		
	योग :–	**2,170.48**		

(इक्कीस करोड़ सत्तर लाख अड़तालीस हजार) मात्र।

4065
20/12/17

21/12/17
सरकार के अपर सचिव